भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0ए0 मिस वाद सं0-20'A'/2017-18

विश्वनाथ सरदार बनाम हपना माझी

:: आदेश ::

26-6-2017 अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 1205 दिनांक 27.05.2017 के द्वारा टी0ए0 मिस0 वाद सं0-20'A'/2017-18 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद में विक्रेता श्री विश्वनाथ सरदार, पिता- स्व0 धन्दु सरदार उर्फ धांधु सरदार, ग्राम-खुदीबेड़ा, थाना-कान्ड्रा, जिला-सरायकेला-खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध हेतु क्रेता श्री हपना माझी, पिता-स्व0 फागु माझी, ग्राम-खुदीबेड़ा, थाना-कान्ड्रा, जिला- सरायकेला-खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) के अन्तर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

::भूमि का विवरणी::

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा	किस्म
खुदीबेड़ा	33	15	550	0.51.5 एकड़	दोन दो

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि बिक्री करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि आवेदक खतियानी एवं पंजी-II रैयत के पुत्र है। पंजी-II के अनुसार जमीन पर दखलकार है। मौजा-खुदीबेड़ा, थाना नं0-33, खाता नं0-15 कुल रकवा-7.64 एकड़ में से आवेदक के हक एवं हिस्सा में 2.546 ए0 से 0.51.5 एकड़ बिक्री करने के बाद 2.031 एकड़ भूमि शेष बचता है। विक्रेता अपने हिस्से की भूमि को बिक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना के रहने वाले, विक्रेता की जाति भूमिज एवं क्रेता की जाति संथाल है, जो दोनों अनुसुचित जनजाति में आते है।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.51.5 एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है।

26/6/17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सरायकेला।